उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार

संख्या :: 138/46/ई–1/डी0आर0(पी0सी0एस0)2020–21 दिनांक :: 12 जुलाई, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन सं0– **A-1/E-1/PCS-2021/2021-22** दिनांक 10.08.2021 एवं अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि पत्र दिनांक 07.12.2021 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2021 के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं सन्निरीक्षा के आधार पर कतिपय अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनर्ह सूची दिनांक 28.05.2024, 12.06.2024 एवं 26.06.2024 जारी की गयी थी, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अनर्हता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये। उक्त अनर्ह सूची में नियत अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरांत मा0 आयोग द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को निम्नवत निस्तारित किया गया है–

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	जिस पद हेतु अनर्ह किया गया है।	आदेश
1	2	3	4	5
1	योगेश	270792	उद्यान विकास अधिकारी **पद कोड–08**	अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0– 219/2022 व अन्य समान प्रकरण की याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2022 में उपरोक्त रिट याचिकाओं से सम्बन्धित याचीगण की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में उद्यान विकास अधिकारी पद के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत समकक्ष विषय के रूप में B.Sc. Forestry (Hons.), B.Sc. Forestry का निर्धारण किया गया था। उक्त रिट याचिकाओं में अभ्यर्थी, याचीगण के रूप में सम्मिलित न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
2	आनन्द गोस्वामी	233900	सम्पादक **पद कोड–26**	विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा दैनिक या मासिक समाचार पत्र से सम्बन्धित वांछित अनुभव धारित न करने एवं सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य सम्बन्धित 05 वर्ष का अनुभव विज्ञापनानुसार अंतिम तिथि 28.12.2021 तक का पूर्ण न करने तथा अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के तीनों वर्षों में हिन्दी या संस्कृत साहित्य का अध्ययन न करने के कारण मा0

				आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
3	नवीन सिंह चौहान	256630	सहायक गन्ना आयुक्त एवं सहायक निदेशक, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी (विकास शाखा) **पद कोड 03**	अवगत कराना है कि प्रश्नगत पद के सापेक्ष शासन द्वारा उत्तरांचल (उ0प्र0 कृषि समूह "ख" पद सेवा नियमावली, 1995) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 उपलब्ध करायी गयीं थी, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–**"कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता"** उल्लिखित थी। जिसके अनुसार विज्ञापन में प्रश्नगत पद के सापेक्ष उक्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 17 मई 2024 को सम्पन्न आयोग की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 24(D) में पूर्व में उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ परीक्षा–2021 में समान प्रकरण पर विषय–विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त परामर्श के आधार पर ही मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों हेतु कृषि अभियंत्रण की उपाधि धारित अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
4	अजय कुमार सिरोहिया	126977	सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान **पद कोड 14**	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ संलग्न साक्ष्य/अभिलेख पुष्ट एवं सम्यक् न होने के कारण तथा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं शासन के पत्र संख्या–35313 दिनांक 13.05.2022 के क्रम में तथा मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 219 (एस0बी0)/2022 व अन्य समान प्रकार की याचिकाओं में मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पद कोड 14 सहायक निदेशक–वनस्पति विज्ञान पद के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
5	राजू पाण्ड	152967	सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान **पद कोड 14**	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ संलग्न साक्ष्य/अभिलेख पुष्ट एवं सम्यक् न होने के कारण विज्ञापन में उल्लिखित प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं शासन के पत्र संख्या–35313 दिनांक 13.05.2022 व मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 219 (एस0बी0)/2022 व अन्य समान प्रकार की याचिकाओं में मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी को पद कोड 14, सहायक निदेशक–वनस्पति विज्ञान पद के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक

				अर्हता धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
6	प्रकृति	155200	सूचना अधिकारी/ जिला सूचना अधिकारी **पद कोड 09**	अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अभिलेख पुष्ट व सम्यक् न होने तथा अभ्यर्थी द्वारा धारित शैक्षिक अर्हता B.Sc Home Science विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
7	शुभम बंसल	145479	सांख्यिकी अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग) **पद कोड 15**	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अभिलेख पुष्ट व सम्यक् न होने एवं अभ्यर्थी द्वारा धारित शैक्षिक अर्हता M.Sc. Operational Research (OR) विज्ञापन में प्रश्नगत पद हेतु उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
8	आशुतोष सिंह	339037	बाल विकास परियोजना अधिकारी **पद कोड 25**	अभ्यर्थी द्वारा अपनी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई नवीन एवं पुष्ट साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की अंकतालिका एवं उपाधि का अवलोकन किये जाने के उपरान्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण विषय विशेषज्ञों द्वारा अनर्ह किये जाने के सम्बन्ध में प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
9	सुशील कुमार	302015	बाल विकास परियोजना अधिकारी **पद कोड 25**	अभ्यर्थी द्वारा अपनी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई नवीन एवं पुष्ट साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की अंकतालिका एवं उपाधि का अवलोकन किये जाने के उपरान्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण विषय विशेषज्ञों द्वारा अनर्ह किये जाने के सम्बन्ध में प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
10	अनुज कुमार	287746	फीचर लेखक **पद कोड 27**	अभ्यर्थी द्वारा अपनी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई नवीन एवं पुष्ट साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की अंकतालिका एवं उपाधि का अवलोकन किये जाने के उपरान्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण विषय विशेषज्ञों द्वारा

				अनर्ह किये जाने के सम्बन्ध में प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
11	आकाश	241885	बाल विकास परियोजना अधिकारी **पद कोड 25**	अभ्यर्थी द्वारा अपनी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई नवीन एवं पुष्ट साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की अंकतालिका एवं उपाधि का अवलोकन किये जाने के उपरान्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण विषय विशेषज्ञों द्वारा अनर्ह किये जाने के सम्बन्ध में प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

Sd/-
(जी0एस0रावत)
सचिव